

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-4  
संख्या- 683/नौ-4-18-5ईओ/2018  
लखनऊ: दिनांक- 23 मार्च, 2018

कार्यालय ज्ञाप

नितान्त अस्थायी व्यवस्था के रूप में कालम-2 में उल्लिखित नगर निकायों में रिक्त अधिशासी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार कालम-3 में उल्लिखित अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि इस हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा:-

क्र.	निकाय का नाम	उप जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी का नाम
1	2	3
1	नगर पालिका परिषद, बड़ौत (बागपत)	श्री अरविन्द कुमार द्विवेदी, उप जिलाधिकारी, बड़ौत
2	नगर पंचायत छपरौली (बागपत)	सुश्री अन्नपूर्णा गर्ग, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, बागपत
3	नगर पंचायत पिनाहट (आगरा)	श्री अरूण कुमार, अपर नगर मजिस्ट्रेट (तृतीय) आगरा
4	नगर पंचायत, जगनेर (आगरा)	श्रीमती विनीता सिंह अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ आगरा


2. उक्त निकायों में नियमित अधिशासी अधिकारी की तैनाती हो जाने पर उक्त अतिरिक्त प्रभार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

मनोज कुमार सिंह  
प्रमुख सचिव।

संख्या-683 (1)/नौ-4-18-5ईओ/2018 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, बागपत, आगरा।
3. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, बड़ौत, छपरौली, पिनाहट एवं जगनेर।
4. सम्बन्धित अधिकारीगण।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(उमेश प्रताप सिंह)  
विशेष सचिव।